कार्यालय– जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

नीलामी की आवश्यक शर्तें :–

01. यह ठेका दिनाँक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए वैध है।

02. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली, विगत वित्तीय वर्ष की बोली की धनराशि पर 10 प्रतिशत जोड़कर बोली जायेगी।

03. ठेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत धनराशि रू० 20,000/– (बीस हजार) रूपये जमा करने होंगे। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।

04. जिस व्यक्ति के हक में ठेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि का 50 प्रतिशत तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 25–25 प्रतिशत की 02 त्रैमासिक किस्त (01 जुलाई–2019 तथा 01 अक्टूबर–2019) में जमा करनी होगी। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

05. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।

06. ठेका की स्वीकृति का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश का होगा।

07. किसी भी ठेकेदार को ठेके को बेचने का अधिकार नहीं होगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे–सम्बन्धी या किसी अन्य को ठेका हस्तान्तरित नहीं करेगा।

08. ठेकेदार पानी एवं बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।

09. प्रत्येक ठेकेदार को जिसके नाम ठेका छोड़ा जायेगा, उसे नियमानुसार अण्डरटेकिंग देनी होगी तथा उसे नियमानुसार 100 रूपये का स्टॉम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निस्पादित करना होगा।

10. प्रत्येक ठेकेदार को अपनी हैसियत का हैसियत प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड दाखिल करना आवश्यक होगा।

05.2.19

(योगेन्द्र राम गुप्ता)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–02, हाथरस।

Scanned by CamScanner

कार्यालय– जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस स्थित मुंसिफी परिसर से लगी रिक्त भूमि पर चाय की दुकान, तम्बाकू रहित पान की दुकान, साईकिल स्टैण्ड एवं फल–फ्रूट चाट–चबैना की दुकान को वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिये वार्षिक ठेके पर उठाया जाना है, जिस हेतु दिनाँक 02.03.2019 दिन शनिवार समय सायं 4:30 बजे नियत है। इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु समय से केन्द्रीय नज़ारत, जनपद न्यायालय, हाथरस में उपस्थित हों। नीलामी से सम्बन्धित अधिक जानकारी, केन्द्रीय नाज़िर से प्राप्त की जा सकती है।

02.2.19

(योगेन्द्र राम गुप्ता)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–02,
हाथरस।

आदेश

अवलोकित। अनुमोदित

02.02.2019

जनपद न्यायाधीश,
हाथरस।

Scanned by CamScanner

कार्यालय– जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

इश्तहार नीलामी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस में स्थित मुंसिफी परिसर से लगी रिक्त भूमि को चाय कैन्टीन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिये वार्षिक ठेके पर उठाया जाना है। उपरोक्त ठेके की नीलामी हेतु दिनाँक 02.03.2019 दिन शनिवार को सायं 4:30 बजे जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में नीलामी की बोली बोलने हेतु नियत की गयी है। इच्छुक व्यक्ति समय से नीलामी की बोली बोलने हेतु जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में उपस्थित हों। नीलामी की समस्त शर्तों के सम्बन्ध में जानकारी के लिये केन्द्रीय नाज़िर से जानकारी ली जा सकती है।

नीलामी की आवश्यक शर्तें :–

01. यह ठेका दिनाँक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए वैध है।
02. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली, विगत वित्तीय वर्ष की बोली की धनराशि पर 10 प्रतिशत जोड़कर बोली जायेगी।
03. ठेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत धनराशि रू० 20,000/– (बीस हजार) रूपये जमा करने होंगे। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
04. जिस व्यक्ति के हक में ठेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि का 50 प्रतिशत तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 25–25 प्रतिशत की 02 त्रैमासिक किस्त (01 जुलाई–2019 तथा 01 अक्टूबर–2019) में जमा करनी होगी। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
05. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।
06. ठेका की स्वीकृति का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश का होगा।
07. किसी भी ठेकेदार को ठेके को बेचने का अधिकार नहीं होगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे–सम्बन्धी या किसी अन्य को ठेका हस्तान्तरित नहीं करेगा।
08. ठेकेदार पानी एवं बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।
09. प्रत्येक ठेकेदार को जिसके नाम ठेका छोड़ा जायेगा, उसे नियमानुसार अण्डरटेकिंग देनी होगी तथा उसे नियमानुसार 100 रूपये का स्टॉम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निस्पादित करना होगा।
10. प्रत्येक ठेकेदार को अपनी हैसियत का हैसियत प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड दाखिल करना आवश्यक होगा।

04.2.19

(योगेन्द्र राम गुप्ता)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–02, हाथरस।

प्रतिलिपि–

1. जिला जज, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. मुंसिफी हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. नगर पालिका, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. कलैक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. मुनादी कराये जाने हेतु।
6. समाचार पत्र में सरकारी दर से प्रकाशन हेतु।
7. तहसील हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–02, हाथरस।

Scanned by CamScanner